न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 08/2023
ऑनलाईन नम्बर 2023/20 — निर्णय दिनांकः 11.9.2024

जितेन्द्र कुमार उम्र 30 वर्ष पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवारी ग्राम कल्याणसर नया तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिल बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

1.स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2.PAN INDIA CONSULTANTS PVT. LTD. CORPORATE OFFICE 105 PHASE IV, UDYOG VIHAR GURGAON- 122015 HARYANA
3. नन्दलाल पुत्र देराजराम 4. मूलाराम पुत्र देराजराम 5. हरीराम पुत्र पूरखाराम 6. सरोजदेवी पत्नी मांगीलाल 7. सुशीला पुत्री मांगीलाल 8. संगीता पुत्री मांगीलाल 9. महेन्द्र कुमार पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासीगण ग्राम कल्याणसर नया तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—
1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 02 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही।
3. श्री बजरंग शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी सं. 3 ता 9 की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,131 भू—राजस्व अधिनियम 1956

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 ता 8 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 144 तादादी 2.3500 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 145 तादादी 0.6500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 146 तादादी 9.6500 हैक्टेयर वाकेरोही कल्याणसर नया तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। खसरा नम्बर 145 गैरमुमकिन सड़क के रूप में है । मुताबिक राजस्व रिकार्ड खसरा नम्बर 145 में प्रार्थी 7/40 हिस्से का खातेदार काबिज काश्तकार है तथा अप्रार्थी संख्या 3 की 1/4 हिस्से की खातेदारी, अप्रार्थी संख्या 4 की 209/1175 हिस्से की खातेदारी, अप्रार्थी संख्या 6 की 287/2350 हिस्से की खातेदारी, अप्रार्थी संख्या 7 व 8 की प्रत्येक की 1/20 हिस्से की खातेदारी व अप्रार्थी संख्या 9 की 7/40 हिस्से की खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 145 व 146 में प्रार्थी के नाम 1/20 हिस्से की खातेदारी, अप्रार्थी संख्या 3 के नाम 1/4 हिस्से की खातेदारी, अप्रार्थी संख्या 4 के नाम 1/4 हिस्से की खातेदारी, अप्रार्थी संख्या 5 के नाम 1/4 हिस्से की खातेदारी व अप्रार्थी संख्या 6 से 9 प्रत्येक के नाम 1/20 हिस्से की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी व हिस्सा पांति सही रूप से दर्ज है तथा पटवार हल्का से जारी की जाने वाली नक्शा शीट व उसका मेजरमेन्ट (नाप—जोख) भी सही रूप से दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अभी अपनी उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि के खेत खसरा नम्बर 144 व 146 वाके कल्याणसर नया के राजस्व भूक्शा की नकले ऑनलाईन माध्यम से निकलवाई तो प्रार्थी को अपने उक्त दोनों राजस्व नक्शा को देखने पर छोटा दिखाई दिया तो प्रार्थी ने उक्त नक्शा को हल्का पटवारी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.26 17:44:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

दिखाया तो पटवारीजी ने बताया कि ऑन लाईन नक्शा में अंकित भूमि व उसमें अंकित स्केल के हिसाब से जमीन का मैल नहीं खाता है व इन नक्शो के हिसाब से आपकी जमीन पूरी नहीं होती है । आपकी जमीन के हिसाब से ऑन लाईन नक्शा में स्केल दर्शित नहीं किया है । प्रार्थी को हल्का पटवारी से उक्त जानकारी होने पर प्रार्थी ने हल्का पटवारी से अपने खेत खसरा नम्बर 144 व 146 रोही कल्याणसर नया के राजस्व नक्शा शीट की प्रमाणित प्रतियां दिनांक 21.12.2022 को प्राप्त की व ऑन लॉईन भू–नक्शा से मिलान किया तो प्रार्थी को पता चला कि ऑन लाईन नक्शे काफी छोटे बने हुए है व ऑन लाईन नक्शा का मेजरमेन्ट/स्कील सही नहीं है जबकि मौका पर प्रार्थी के उक्त खेत नक्शा शीट के हिसाब से है। ऑन लाईन भू नक्शे बनाने व तैयार करने का कार्य अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा किया जाता है । अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थी के उक्त खेतों के ऑन लाईन नक्शे बिलकुल ही गलत दर्शित कर रखे है। प्रार्थी को उक्त प्रकार की समस्त जानकारी होने पर प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 3 से 9 को ऑन लॉईन नक्शा आपसी सहमति से दुरूस्त करवाने का कहा तो अप्रार्थी सं. 3 ता 9 ने कहा कि हमारे पास तो समय नहीं है, आप नक्शा को दुरूस्त करवाने की कार्यवाही करों तो प्रार्थी ने फिर अप्रार्थी संख्या 2 से फोन पर वार्तालाप कर सारी स्थिति को बताया परन्तु अप्रार्थी संख्या 2 ने कहा कि मैं राजस्व तहसीलदार के आदेश के बिना कुछ नहीं कर सकता तो प्रार्थी ने फिर अप्रार्थी संख्या 1 से दिनांक 30.12.2022 को प्रार्थी के उक्त खेतों का ऑन लाईन भूराजस्व नक्शा की तरमीम नक्शा सीट के हिसाब से करने का निवेदन किया तो अप्रार्थी ने कहा कि राजस्व रिकार्ड व भूनक्शा में एकबार तरमीम हो जाने के बाद हम इसे दुरूस्त नहीं कर सकते। आपको सक्षम अदालत से आदेश लाना होगा । प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी के खेतों का ऑन लाईन भूनक्शा राजस्व नक्शा सीट के हिसाब से सही नहीं होने से प्रार्थी के खेतों की स्थिति सही प्रकट नहीं हो रही है व भविष्य में भी इसका प्रभाव गलत पड़ेगा व ऑन लाईन भू–नक्शा की गलत तरमीम के कारण प्रार्थी को भारी परेशानी व नुकसान हो रहा है इसलिए प्रार्थी अपने संयुक्त खातेदारी के उक्त खेतों का ऑन लाईन भू नक्शा दुरूस्त करवाने का कानूनन अधिकारी है जिसके लिए यह राजस्व अक्स दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र श्रीमान्‌जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र अदालतवाला के क्षवणाधिकार व क्षेत्राधिकार एवं हर तरह से अन्दर मिंयाद तथा निर्धारित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खेत खसरा नम्बर 144 तादादी 2.35 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 146 तादादी 9.6500 हैक्टेयर वाकेरोही कल्याणसर नया के ऑन लाईन भू–नक्शा को राजस्व नक्शा सीट के हिसाब से तरमीम किए जाने का आदेश अप्रार्थी संख्या 1 को दिया जाकर उसकी पालना अप्रार्थी संख्या 2 से करवाई जावे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या संख्या 03 ता 9 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 03 ता 9 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई। अप्रार्थी संख्या 02 को [illegible] लगवाई गई परन्तु इनकी ओर से असालतन व वकालतन कोई हाजिर नहीं [illegible] परन्तु इनकी ओर से जरिये रजिर्स्ड डाक अपना जवाब पेश किया हुआ है। [illegible] संख्या 02 के विरूद्ध

3

खण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.26 17:54:49 IST
Reason: SelfAttested

एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाब पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में अप्रार्थीगण व स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 144 तादादी 2.35 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 146 तादादी 9.6500 हैक्टेयर वाकेरोही कल्याणसर नया के ऑन लाईन भू–नक्शा को राजस्व नक्शा सीट के अनुसार तरमीम कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 11.9.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.26 17:54:49 IST
Reason: SelfAttested